न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 136/2017

ग्राम पंचायत बाडी जरिये सरपंच धर्मेन्द्र पुत्र श्री गोपीलाल जाति भील निवासी बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

——— वादी

ब ना म

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा

2– नगरपालिका बिजयनगर जरिये अधिशाषी अधिकारी बिजयनगर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136, 88, 188 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 18.07.2019

संक्षिप्तः वादी ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, ग्राम बाडी पटवार हल्का बाडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लोडियाना तहसील बिजयनगर में स्थित खसरा नंबर 395 रकबा 10–08–10 निवास स्थान व बस्तियों के रूप में आबादी में दर्ज चली आ रही थी। उक्त साबिक खसरा नंबर 395 के हाल खसरा नंबर 866/1984 कायम किये गये और उक्त खसरा निवास स्थान व बस्तियां को राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सरकारी भूमि के रूप में गलत इन्द्राज कर दिया है जो कानूनन गलत है। उपरोक्त वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजियात को वादी/आबादी बस्तीयां के रूप में नाम दर्ज किये जाने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने हेतू वादी द्वारा उपरोक्त वाद पत्र पेश किया है। वादी द्वारा प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र देकर दुरूस्ती करने हेतू कहां तब उन्होने दिनांक 7.12.2017 को इन्कार कर दिया इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में आबादी भूमि बस्तीया एंव निवास स्थान के रूप में दर्ज कर घोषित किया जावे तथा वाद का सम्पूर्ण हर्जा व खर्चा वादी को दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि विवादित भूमि अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत 2023 से 2026 के खाता नंबर 1 में आबादी भूमि दर्ज थी भू संधोशन 1971–1972 की कार्यवाही के दौरान आबादी के बजाय बारानी–3 दर्ज हो गई है, अतः बारानी–3 के स्थान पर आबादी दुरूस्त किया जाना उचित है। राज्य सरकार के विभिन्न दिशानिर्देश/परिपत्र अनुसार पंचायत राज अधिनियम के गठन के समय मौके पर बसी हुई बस्तीया जो कि सरकारी खाते में दर्ज थी उन्हें ग्राम पंचायत के खाते में आबादी के रूप में दर्ज की गई इसी संदर्भ में उक्त वर्णित भूमि को भी आबादी भूमि दर्ज किया जाना उचित है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 866/1984 के साथ अन्य खसरान सिवायचक को ग्राम पंचायत बाडी को हस्तांतरित कर आबादी घोषित होती है, तो इस नगरपालिका को कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में वादी ग्राम पंचायत ने अपने वाद में वर्णित कथन को ही साक्ष्य के रूप में माने जाने का कथन किया। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब में वर्णित कथन को ही साक्ष्य के रूप में माने जाने का कथन किया प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2023 से 2026 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 395 रकबा 101–03–10 मिल्कियत सरकार निवास स्थान व बस्तियां होना दर्ज पाया गया। इसी प्रकार मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 395 के हाल खसरा नंबर 866/1984 दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2041 के अनुसार हाल खसरा नंबर 866/1984 राजकीय भूमि दर्ज होना पाया गया। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के अनुसार हाल खसरा नंबर 866/1984 रकबा 10–08–10 सरकारी भूमियां दर्ज होना पाया गया।

.....लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

इस प्रकार साबिक खसरा नंबर 395 जो कि उक्त सेटलमेंट के पूर्व की जमाबंदी संवत 2023 से 2026 में खातेदार सरकार निवास स्थान व बस्तिया व किस्म आबादी दर्ज होना पाया गया। जबकि राजस्व कारकूनो के द्वारा पूर्व के इन्द्राज को ही सेटलमेंट के बाद बने राजस्व रेकार्ड में यथावत इन्द्राज किया जाना चाहिये किन्तु ऐसा नही करने के कारण राजस्व रेकार्ड में त्रुटी में होना पाया जाता है, जबकि तहसीलदार बिजयनगर द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार उन्होने भी वर्तमान में विवादित भूमियो में निवास बस्तीया होना स्वीकार किया है, और आबादी घोषित किये जाने का कथन किया। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने भी आबादी घोषित किये जाने का कथन किया है। तथा अपनी और से अनापत्ति होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बाडी पटवार हल्का बाडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लोडियाना तहसील बिजयनगर में स्थित साबिक खसरा नंबर 395 रकबा 10–08–10 हाल खसरा नंबर 866/1984 रकबा 10–08–10 में किस्म बारानी के स्थान पर आबादी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है, तहसीलदार बिजयनगर उक्तानुसार आदेश की पालना करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.11 13:29:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: